UPRN120011202020

न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर, कानपुर देहात

मुकदमा सं०– 713/2020

सरकार बनाम राज बहादुर आदि।

<u>आरोप</u>

मैं कृपा शंकर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर, कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण राज बहादुर, मुकेश व शिवम को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

यह कि दिनांक 19/01/2020 को घटना स्थल ग्राम बरौर थाना बरौर कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा व रज्जन को गाली गलौज कर अपमानित किया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 504 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय, घटना स्थल, थाना, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा व रज्जन को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 506 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय, घटना स्थल, थाना, जिला कानपुर देहात में आप अभियुक्तगण ने उपरोक्त वादिनी मुकदमा की पेटी व रज्जन की पेटी को तोड़कर क्षति पहुंचायी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण के द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 427 भा०द०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आप अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

कृपा शंकर
दिनांक 18.05.2022 सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भोगनीपुर कानपुर देहात
ID NO.UP02625

उक्त आरोप को अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवम समझाया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों से इन्कार किया एवम परीक्षण की मांग की।

कृपा शंकर
दिनांक 18.05.2022 सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भोगनीपुर कानपुर देहात
ID NO.UP02625